

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 171

दिनांक 18/01/2024

प्रार्थी :-

1.वीरा पुत्र अनोपा, जाति मेघवाल
निवासी अली की बस्ती (बूठ राठौड़ान)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.लूणा पुत्र कस्तुरा 2.लक्ष्मणाराम पुत्र पताराम
3.साहिलदेवी पत्नि पताराम 4.लूणाराम पुत्र मेहकाराम
5.देवजीराम 6.भारमलराम 7.चेनाराम पि.मीदूराम 8.कुन्डा
पुत्र पेमाराम, जातियान मेघवाल 9.अकबर पुत्र जुमा,
जाति तेली 10.साहोल पत्नि हुसैनखान जाति सिंधी
मुसलमान 11.मोहनदान पुत्र रतनदान, जाति चारण,
निवासी अली की बस्ती (बूठ राठौड़ान),तहसील चौहटन,
12.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 63/2023

दिनांक : 15.01.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान के मौजा अली की बस्ती के खेत खसरा सं. 629/124 रकबा 06.3131 हैकटेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 172 to 175
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी वीरा वगैरा
3. विप्रार्थीगण लूणा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 18/01/2024
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी